छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय,
अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांकः 2503 / आर–48 / 2016 / 13 / 2 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 05-11-2019

प्रति,

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः— एमओयू के अंतर्गत निजी सेक्टर में निर्माणाधीन / संचालित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा आबंटित जल की मात्रा में संशोधन तथा संशोधन उपरांत आबंटित जल के चरणों में उपयोग हेतु संस्थानों से प्राप्त आवेदन पर विभाग की अनुशंसा ।

संदर्भः—1. मेसर्स रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जीएमआर एनर्जी छत्तीसगढ़ लिमिटेड) का पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2019 एवं 30 सितम्बर, 2019

2. मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड) का पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2019

3. जल संसाधन विभाग का पत्र क्रमांक 4235 दिनांक 01.10.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का अनुरोध है। कृपया अवगत होना चाहेंगे कि मेसर्स रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जीएमआर एनर्जी छत्तीसगढ़ लिमिटेड), मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड) तथा जल संसाधन विभाग का पत्र क्रमांक 4235 दिनांक 01.10.2019 में एमओयू के अंतर्गत राज्य में निजी सेक्टर में स्थापित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा आबंटित जल की मात्रा में कमी तथा कम किए गए जल को चरणों में उपयोग हेतु ऊर्जा विभाग में प्रस्ताव पर विचारोपरांत विभाग का अभिमत निम्नानुसार प्रेषित हैः—

(क) मेसर्स रायपुर एनर्जेन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जीएमआर एनर्जी छत्तीसगढ़ लिमिटेड) द्वारा 1370 मेगावाट क्षमता की पॉवर प्लांट को स्थापित क्षमता यथा 1370 मेगावाट के 50 से 70 प्रतिशत क्षमता के अनुरूप संचालित करने तथा कम क्षमता पर संचालन के स्तर को 85 प्रतिशत प्लांट लोड पर दर्शाते हुए परियोजना हेतु आबंटित 36 मिलियन घनमीटर जल की मात्रा को तीन चरणों में उपयोग हेतु अनुमति चाही गई है। चूंकि स्थापित क्षमता का 50 से 70 प्रतिशत 960 (1370X0.70) मेगावाट आकलित होता है और 85 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर यह क्षमता और घटकर 816 (960X0.85) मेगावाट रह जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मापदण्ड के अनुसार प्रति मेगावाट उत्पादन हेतु प्रति घंटे जल की अधिकतम आवश्यकता 03 मिलियन घनमीटर है तदनुसार जल अधिकतम आवश्यकता 21.44 (816X3X24X365 / 1000000) मिलियन घनमीटर हो रही है। अतः कंपनी द्वारा आबंटित 36 मिलियन घनमीटर जल की मात्रा को 25 मिलियन घनमीटर करते हुए तीन चरणों में उपयोग की मांग पर ऊर्जा विभाग सहमत है। तदनुसार नीचे तालिका अनुसार चरणों में जल उपयोग की अनुमति पर विचार किया जाएः—

Scanned by CamScanner

चरण	उपयोग की अवधि	आहरित जल की मात्रा	कुल जल की मात्रा
प्रथम चरण	01 नवम्बर, 2019 से एग्रीमेंट निष्पादन की तारीख जो 30 अप्रेल, 2020 बाद में हो अथवा एग्रीमेंट की तारीख से 06 माह तक	11 एमसीएम	11 एमसीएम
द्वितीय चरण	01 मई, 2020 अथवा से एग्रीमेंट निष्पादन की तारीख जो 31 अक्टूबर, 2020 के बाद में हो अथवा एग्रीमेंट की तारीख से 12 माह तक	11 एमसीएम	22 एमसीएम
तृतीय चरण	01 नवम्बर, 2020 अथवा एग्रीमेंट निष्पादन की तारीख जो भी बाद में हो	03 एमसीएम	25 एमसीएम

(ख) मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड) द्वारा रायगढ़ में स्थापित 600 मेगावाट क्षमता की पॉवर प्लांट के इकाई में अग्नि दुर्घटना एवं उक्त परियोजना के प्रबंधन के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल में चल रहे प्रकरण तथा पॉवर सेक्टर में मंदी के परिप्रेक्ष्य में उक्त इकाई के संचालन को 60 से 75 प्रतिशत की क्षमता के अनुरूप चलाये जाने के आधार पर वर्तमान में आबंटित 15 मिलियन घनमीटर जल को नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार तीन चरणों में उपयोग पर ऊर्जा विभाग सहमत है। तदनुसार नीचे तालिका अनुसार चरणों में जल उपयोग की अनुमति पर विचार किया जाए:–

चरण	उपयोग की अवधि	आहरित जल की मात्रा	कुल जल की मात्रा
प्रथम चरण	01 नवम्बर, 2019 से एग्रीमेंट निष्पादन की तारीख जो 30 अप्रेल, 2020 के बाद में हो अथवा एग्रीमेंट की तारीख से 06 माह तक	06 एमसीएम	06 एमसीएम
द्वितीय चरण	01 मई, 2020 अथवा से एग्रीमेंट निष्पादन की तारीख जो 31 अक्टूबर, 2020 के बाद में हो अथवा एग्रीमेंट की तारीख से 12 माह तक	06 एमसीएम	12 एमसीएम
तृतीय चरण	01 नवम्बर, 2020 अथवा एग्रीमेंट निष्पादन की तारीख जो भी बाद में हो	03 एमसीएम	15 एमसीएम

(ग) मेसर्स एस0व्ही0 पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोरबा में प्रस्तावित 2X56 मेगावाट क्षमता की परियोजना के अंतर्गत केवल 63 मेगावाट क्षमता की एक इकाई के संचालन के आधार पर 2.5 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की कोयला शोधन संयंत्र हेतु वर्तमान में आबंटित 5.5 मिलियन घनमीटर की मात्रा को 2 मिलियन घनमीटर जल तक कम करने के प्रस्ताव पर शासन की अनुमति चाही है। चूंकि कंपनी ने 2X56 मेगावाट क्षमता के परियोजना के अंतर्गत केवल 63 मेगावाट की इकाई के संचालन करने का निर्णय लिया है अतः उक्त इकाई के लिए वार्षिक जल की आवश्यकता 1.41 (63X3X24X365X0.85/1000000) मिलियन घनमीटर आकलित होती है। तदनुसार संस्थान द्वारा कोयला शोधन संयंत्र सहित 63 मेगावाट क्षमता के पॉवर प्लांट के संचालन के लिए वर्तमान में आबंटित 5.50 मिलियन घनमीटर जल की मात्रा को 2 मिलियन घनमीटर किए जाने के प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग सहमत है तदनुसार संस्थान के आवेदन पर विचार किया जाए।

संलग्नः–यथोपरि।

(मोहम्मद कैसर अब्दुलहक)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

Scanned by CamScanner